म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक /8894/ MGNREGS-MP / NR-3 / SE-I / 2013, भोपाल, दिनांक 12 / 11 / 2013

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः **मर्यादा अभियान के अंतर्गत घरेलू शौचालयों के निर्माण में मनरेगा अंशदान मे मेट के प्रोत्साहन राशि की स्थिति स्पष्ट करने बाबत्।**

संदर्भः **विभाग का पत्र क्र. 8549 / NBA/MGNREGS-MP / 22 / वि–7 / 2012, दि 26.6.2012।**

निर्मल भारत अभियान (NBA) एवं महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से तैयार की गई ''मर्यादा'' उपयोजना की आयोजना व कियान्वयन मनरेगा के निर्देश विभाग के संदर्भित पत्र से दिये गये है। कतिपय जिलों में मनरेगा अंशदान में **मेट** की राशि को लेकर भ्रम की स्थिति होना बतलाया गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है, घरेलु शौचालय के निर्माण में मनरेगा का अंश रू 4400 / – एवं निर्मल भारत अभियान का अंश रू 4600 / – कुल 9000 / – पूर्ववत् ही है।

01 अप्रैल 2013 से लागू अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर रू. 146 / – से 20 दिवस की सीमा तक भुगतान किया जाना है। शेष राशि अर्द्ध कुशल श्रमिकों को सामग्री मद में भुगतान की जाना है। विभाग के पत्र क्र. 5511 / MGNREGS-MP / NR-3 / SE-I / 2013, दि. 26.06.2013 से मेट को अकुशल श्रेणी से अर्द्ध कुशल श्रमिक वर्ग की श्रेणी में रखा गया है, जिसके अनुसार ही मेट को भुगतान किया जाना है। विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के लेबर बजट अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक मानवदिवस सृजित करने पर रू. 2 / – प्रति मानवदिवस की दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस स्थिति में विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 26 / 06 / 2012 की कंडिका 5 की तालिका में दर्शित मेट की प्रोत्साहन राशि रू 300 / – दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार घरेलू शौचालयों के निर्माण में मेट के प्रोत्साहन की स्थिति स्पष्ट होने से किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं रहना चाहिये। अतएव कार्यक्रम कियान्वयन में गति लायी जावे।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./8895/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013, भोपाल, दिनांक 12/11/2013

प्रतिलिपि –:

1. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद, भोपाल।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल। कृपया कार्यक्रम अंतर्गत जिले एवं जनपद पंचायत पर पदस्थ अमले को ग्राम पंचायतों में सतत् भ्रमण कराया जावे। जिससे घरेलू शौचालयों के निर्माण में अपेक्षित गति आ सके।
4. समस्त संभागायुक्त म.प्र.।
5. मुख्य अभियंता, पूर्व परिक्षेत्र/पश्चिम परिक्षेत्र, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. समस्त अंधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, मध्य प्रदेश।
7. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्य प्रदेश।
8. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्य प्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्री को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।
9. समस्त सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्य प्रदेश।
10. समस्त उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्य प्रदेश।

(एम.के. जैन)
अधीक्षण यंत्री
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल